कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के 30 विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधान, लागू कानून, नियम, विनियम और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय शामिल है और इसमें 'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर' पर एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित राशि ₹ 447.15 करोड़ के 11 अनुच्छेद शामिल है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे उल्लेखित हैः

I सामान्य

यह अध्याय लेखापरीक्षा की प्रक्रिया और सरकार/विभागों द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेपों के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करता है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा करता है ताकि लेनदेनों की जांच की जा सके तथा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन किया जा सके। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताएं शामिल होती हैं, जो मौके पर ही नहीं निपटाई गई। मार्च 2024 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन का विश्लेषण बताता है कि इन विभागों के लिए सितम्बर 2024 तक 5,486 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित ₹ 67,417.00 करोड़ के 24,545 अनुच्छेद बकाया थे।

II प्राप्ति लेखापरीक्षा

वर्ष के दौरान खान एवं भूविज्ञान विभाग की 23 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

- दस खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा खनिजों के अनधिकृत उत्खनन, अर्थात् आवश्यक सीटीओ प्राप्त किए बिना अथवा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक उत्खनन किए जाने के कारण ₹192.72 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

- 44 खनन पट्टों से 23.83 लाख मीट्रिक टन खनिजों का अनधिकृत रूप से उत्खनन कर उन्हें आवंटित खनन पट्टों के लिए जारी रवन्नाओं के समर्थन से निर्गमित किया गया एवं पाँच खनन पट्टों में पट्टा क्षेत्रों के आसपास तथा गैप क्षेत्रों में भी अवैध खनन पाया गया। तथापि, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता अवैध खनन का पता लगाने तथा ₹191.10 करोड़ की खनिज लागत की वसूली करने में विफल रहे।

- राज्य सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में संशोधन कर कार्यालय की वेबसाईट द्वारा प्रत्येक ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने हेतु ₹10 का शुल्क निर्धारित किया गया। तथापि, 15 खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा खनन पट्टाधारकों/अल्पावधि अनुमति पत्र (एसटीपी) धारकों/डीलर्स से

69.71 लाख ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने के एवज में ₹6.97 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

- खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों के मामलों में सहायक खनि अभियन्ता द्वारा देय प्रीमियम की किस्तों की वसूली हेतु कार्रवाई न किए जाने से ₹14.33 लाख की वसूली नहीं हो सकी। साथ ही, डीएमजीओएमएस के माध्यम से प्रीमियम राशि की निगरानी की प्रभावी व्यवस्था का अभाव था।
- एक खनन पट्टाधारक द्वारा 42,185.77 मीट्रिक टन खनिजों को बिना ई-रवन्ना के निर्गमित किया गया। तथापि, खनि अभियंता द्वारा अनधिकृत निर्गमन का पता नहीं लगाया जा सका, परिणामस्वरूप ₹2.36 करोड़ की मांग कायम नहीं की गई एवं बाद में उस राशि की वसूली का अभाव रहा।
- खनि अभियंता अलवर द्वारा बजरी के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 21.00 लाख रुपये की जुर्माना राशि का आरोपण व वसूली नहीं की गई।
- सहायक खनि अभियंता ने ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रधारक से देय अधिशुल्क एवं डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली हेतु मांग कायम नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.73 लाख की वसूली नहीं हो सकी।
- सहायक खनि अभियंता, ने खनन पट्टे की स्वीकृति अवधि के विस्तार हेतु विलंब शुल्क की वसूली के लिए पट्टा धारक को मांग नोटिस जारी किया, लेकिन मांग की गई राशि ₹24.90 लाख कम थी।
- पांच खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं ने 15 खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के अनुमोदन के बिना 8.01 लाख मीट्रिक टन खनिजों के उत्खनन के लिए ₹33.22 करोड़ की मांग कायम नहीं की। इसके अतिरिक्त, सात खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं ने खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक 3.73 लाख मीट्रिक टन खनिजों के अनधिकृत उत्खनन के लिए दस खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध ₹19.41 करोड़ की मांग कायम नहीं की। फलस्वरूप, खनिज लागत ₹52.63 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

III व्यय लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ़्टवेयर' पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य पशुधन संपदा की दृष्टि से समृद्ध है। पशुपालन विभाग राज्य की इस विशाल और बहुमूल्य संपदा के महत्व को बनाए रखने, इसके विकास और स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों में से एक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल और रोग नियंत्रण कार्यक्रम

है। राजस्थान सरकार ने पशुधन को लाभ पहुंचाने के लिए (15 अगस्त 2012) पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना शुरू की थी।

विभाग ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड (आरईआईएल) को एक वेब-आधारित एप्लिकेशन "एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर" (आईओएमएमएस) विकसित करने का आदेश जारी किया (12 दिसंबर 2014)। आईओएमएमएस एक वेब-आधारित सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है जो राज्य के पशु स्वास्थ्य संस्थानों को विभिन्न दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद, भंडार प्रबंधन एवं वितरण से संबंधित कार्यों से सम्बंधित है। आईओएमएमएस को वर्ष 2015 में ₹ 11.23 लाख की लागत से विकसित किया गया था। सितंबर 2024 तक इस प्रणाली पर ₹ 42.17 लाख (₹ 11.23 लाख विकास पर और ₹ 30.94 लाख रख-रखाव पर) व्यय किये जा चुके हैं।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जिसमें बैक-एंड डाटा/डाटा डंप शामिल है, को संग्रहित कर कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा तकनीकों (CAATs) के माध्यम से इंटरेक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (IDEA) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए विश्लेषण किया गया। डाटा डंप से संभावित विसंगतियों की पहचान करने के बाद चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच फील्ड विज़िट (जनवरी 2025 से फरवरी 2025) के दौरान की गई।

2015 से संचालन होने के बावजूद, विभाग व्यक्तिगत कंप्यूटरों की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी आईटी अवसंरचना की तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सका। बुनियादी समर्थन के अभाव में वास्तविक समय में डाटा प्रविष्टि और सिस्टम के उपयोग में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे एप्लिकेशन की सत्यनिष्ठता और उपयोगिता प्रभावित हुई। आईटी प्रशासन के परिप्रेक्ष्य से, विभाग में सूचना सुरक्षा नीति, पासवर्ड प्रोटोकॉल और आपदा से उबरने के मानकों का अभाव था। उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण नियंत्रण कमजोर थे और कोई व्यावसायिक निरंतरता योजना मौजूद नहीं थी। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कोई हेल्प डेस्क उपलब्ध नहीं थी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में प्रमुख अनुप्रयोग नियंत्रणों की अनुपस्थिति देखी गई, जिनमें न्यूनतम समाप्ति अवधि के लिए सत्यापन जांच, एफईएफओ (फर्स्ट-एक्सपायरी-फर्स्ट-आउट) प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और दवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच सिस्टम-आधारित मैपिंग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र अपर्याप्त थे और रिपोर्टिंग में परिभाषित समयसीमा या मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभाव था। निम्न गुणवत्ता वाले स्टॉक को ब्लॉक करने और स्वीकृत स्टॉक को अनब्लॉक करने के लिए कोई स्वचालित नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसी प्रकार, शेल्फ-लाइफ सत्यापन और स्वचालित स्टॉक मिलान तंत्र या तो अनुपस्थित थे या अप्रभावी ढंग से लागू किए गए थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों में अवसंरचना सुविधाओं की अनुपलब्धता तथा सामान्य नियंत्रण, एप्लिकेशन नियंत्रण, व्यापार नियमों की मैपिंग और आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों को उजागर किया गया। इन कमजोरियों ने राज्य भर में दवाइयों की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन, भंडार प्रबंधन और वितरण

जैसी समग्र प्रक्रियाओं को संभालने में सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि सरकार/विभाग निम्नलिखित पर विचार कर सकता है:

- सभी इकाई कार्यालयों में आवश्यक हार्डवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता में तेजी लाना।
- पासवर्ड नीतियों, बहु स्तरीय प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच मानकों और सिस्टम उपयोग निगरानी के कार्यान्वयन के माध्यम से आईटी सुरक्षा को मजबूत करना।
- संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करें, वास्तविक समय में समस्याओं के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत हेल्प डेस्क और उपयोगकर्ता सहायता प्रणाली बनाएं।
- नियमित बैकअप के साथ एक औपचारिक व्यवसाय निरंतरता और आपदा पुनर्बहाली योजना विकसित और कार्यान्वित करें।
- आईओएमएमएस में अनिवार्य मान्यकरण जांच लागू करना, जैसे न्यूनतम समाप्ति अवधि, एफईएफओ, शेल्फ-लाइफ मानक और मांग-आपूर्ति संरेखण को सुनिश्चित करना।
- आईओएमएमएस को उन्नयन/तकनीकी रूप से रीफ्रेश करना ताकि भंडारपूर्ति के लिए स्वचालित ट्रिगर सुनिश्चित हो, मानवीय हस्तक्षेप कम हो और मांग तथा आपूर्ति की दक्षता बढ़े।
- दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण के लिए स्वचालित नियंत्रण लागू करना, अमानक बैचों को चिह्नित करना और अवरुद्ध करना और अनुमोदित स्टॉक को स्वचालित रूप से जारी करना।

उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग

- विभाग ने 'मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण उद्यमों के लिए विशेष पैकेज' के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में दो उद्यमों को ₹ 61.25 लाख का अनियमित भुगतान किया, जबकि ये उद्यम मेडिकल ऑक्सीजन के स्थान पर औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे थे।